

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक राजपत्रित/एटी/प0³⁴/2019/323 दिनांक 24/04/2019

सयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/जोधपुर/
अजमेर/बीकानेर (राजस्थान)।

विषय : लीव रिजर्व के पदों पर पदस्थापित/कार्यरत चिकित्सकों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन स्वीकृत लीव रिजर्व के पदों पर पदस्थापित/कार्यरत चिकित्सकों द्वारा क्या कार्य लिया जा रहा है कि वर्तमान वस्तुस्थिति की जानकारी (जिले वाईज इफजाई कर) से दिनांक 26.04.2019 तक ई-मेल आईडी addldirgaz@gmail.com पर हार्ड कोपी एवं सॉफ्ट कोपी में भिजवना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक सूचना नहीं भिजवाये जाने पर आपके विरुद्ध सीसीए नियमों तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक राजपत्रित/एटी/प0³⁴/2019/323

दिनांक 24/04/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना सीधे ही निदेशालय में नहीं भिजवाकर संबंधित सयुक्त निदेशक, जोन के कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। आप द्वारा सीधे ही निदेशालय में प्रेषित की गई सूचना को कम्पाईल नहीं किया जाएगा जिसके अभाव में आपसे सूचना प्राप्त नहीं मानते हुए आपके विरुद्ध सीसीए नियमों तहत कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. प्रभारी, इन्फार्मेशन सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग का वेबसाइट/ई-मेल आईडी पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावे।
3. रक्षित पत्रपत्र।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।